क्रम संख्या–58

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मई, 2023 ई0

ज्येष्ठ 05, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 202/XXXVI(3)/2023/23(1)/2023

देहरादून, 26 मई, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने 'उत्तराखण्ड {संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल, अधिनियम, 1948} (संशोधन) अध्यादेश, 2023' प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्याः 02, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड {संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948} (संशोधन) अध्यादेश, 2023

{उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 02, वर्ष 2023}

{भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित}

उत्तराखण्ड राज्य के प्ररिप्रेक्ष्य में संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948 (संयुक्त प्रान्तीय एक्ट संख्या–38 सन् 1948) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अध्यादेश

चूंकि उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ	1	(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड {संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948} (संशोधन) अध्यादेश, 2023 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
अधिनियम में संशोधन	2	संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल एक्ट, 1948 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,) में शब्द "संयुक्त प्रान्तीय", "रक्षक दल", "प्रान्तीय सरकार", "एडमिनिस्ट्रेटिव कमाडेंट", जहाँ आते हों, जिसके अन्तर्गत शीर्षक/उप शीर्षक, पार्श्व शीर्षक और अनुसूचि भी हैं, के स्थान पर कमशः शब्द "उत्तराखण्ड", "प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल", "राज्य सरकार" और "निदेशक" रख दिये जायेंगे।
धारा 2 का संशोधन	3	मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (क) में शब्दों "समान पद के अवैतनिक अफसर" का लोप कर दिया जायेगा।
धारा 4 का संशोधन	4	मूल अधिनियम की धारा 4 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:– "उन प्रतिबन्धों के साथ जो निर्धारित किये जायें, किसी भी व्यक्ति को प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल के सदस्य के रूप में न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम् आयु 42 वर्ष तक पंजीकृत व सम्बद्ध किया जा सकता है एवं उसके सम्बद्धीकरण की अधिकतम् आयु 60 वर्ष तक होगी और उसके सम्बद्धीकरण/कार्ययोजन की शर्ते वह होंगी, जो निर्धारित की जाये"।
धारा 5 का संशोधन	5	मूल अधिनियम की धारा 5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:–

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

		"निर्धारित अधिकारी के आदेश पर प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल के सदस्य को सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने और ऐसे अन्य सभी कार्य करने होंगे जिनके लिये उपर्युक्त चिन्हित किये गये अधिकारी आदेश दें। निर्धारित अधिकारी से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत अधिनियम को कार्यान्वित किये जाने हेतु बनाये गये नियमों में उल्लिखित अधिकारियों से होगा"
धारा 7 का संशोधन	6	मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा,अर्थात्:– "इस अधिनियम के आदेशों या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या अधिनियम (रेगुलेशन) को प्रयोग में लाने के लिये प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल का स्वयंसेवक जब शान्ति एवं सुरक्षा की ड्यटी में तैनात किया गया हो, यह समझा जायेगा कि वह पुलिस अफसर है और ऐसी शर्तें और प्रतिबन्धों के साथ जो निर्धारित किये जाये, पर वह सब अधिकार विशेषाधिकार, दायित्व और संरक्षण प्राप्त होंगे और उनके अधीन वह रहेगा, जौं उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट, 2007 ई0 या किसी अन्य विधान के अधीन जो उस समय लागू हो, नियमानुसार नियुक्त पुलिस अफसर को प्राप्त हों, तो जिनके अधीन वह हो, परन्तु वह शर्तें और प्रतिबन्ध इस अधिनियम के आदेशों के प्रतिकूल न होगी"
धारा 10 का संशोधन	7	मूल अधिनियम की धारा 10 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा ,अर्थात्:– जब प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल के किसी सदस्य पर, जो अफसर न हो, ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो जो धारा 9 के अधीन दण्डनीय हो तो निदेशक या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा लिखित अधिकार प्राप्त कोई गजटेड अफसर जिसके अधीन प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल का सदस्य उस समय काम कर रहा हो, यह आदेश दे सकता है कि उक्त अभियोग पर विधिपूर्वक मुकदमा चलाये बिना ही कार्यवाही की जाये, और ऐसा सदस्य को नीचे लिखे हुये एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात्– (क) प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल से पंजीकरण समाप्त करना। (ख) एक वर्ष हेतु ड्यूटी से पृथक करना।
धारा 11 का लोप	8	मूल अधिनियम की धारा 11 का लोप कर दिया जायेगा।
धारा 12 का लोप	9	मूल अधिनियम की धारा 12 का लोप कर दिया जायेगा।
धारा 13 का संशोधन	10	मूल अधिनियम की धारा 13 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात:– "यदि अपराध धारा 9 के अधीन दण्डनीय हो और उसके अभियोग की धारा 10 के अनुसार नहीं निपटा दिया गया है, तो उसके मुकदमें की सुनवाई अधिकार प्राप्त प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

धारा 14 का लोप	11	मूल अधिनियम की धारा 14 का लोप कर दिया जायेगा।
धारा 16 का संशोधन	12	मूल अधिनियम की धारा 16 में शब्द "या समान पद के किसी आनरेरी अफसर" का लोप कर दिया जायेगा।
धारा 17 का संशोधन	13	मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः– "यदि स्वयंसेवक द्वारा अनुशासनहीनता की गई हो उस दशा में नियोजक द्वारा विभाग को सूचित किया जायेगा। विभाग द्वारा उक्त पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अपराधिक कृत्य की दशा में नियमानुसार पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।"
धारा 18 का संशोधन	14	मूल अधिनियम की धारा 18 को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः– "स्वयंसेवक को अन्य विभागों/संस्थाओं में कर्तव्य पालन हेतु बुलाये जाने पर उनके दैनिक भत्ते का भुगतान सम्बन्धित विभाग/संस्थान द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था/ नियमानुसार बजट आदि प्राविधान कराया जायेगा।"
धारा 19 का लोप	15	मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप कर दिया जायेगा।
धारा 20 का संशोधन	16	मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) में शब्द "अवैतनिक या वैतनिक" निकाल दिया जायेगा।
धारा 21 का अंतःस्थापन	17	मूल अधिनियम में धारा 20 के पश्चात् नई धारा 21 पार्श्व शीर्षक सहित निम्नवत् जोड़ दी जायेगी, अर्थातः– "21. विविधः प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल के सदस्यों को ऐसे तथा उस अवधि तक के अवकाश दिये जा सकेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश द्वारा विहित किये जायें।"

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

लेफ्टिनेन्ट जनरल (से0नि0) गुरमीत सिंह,
पी0वी0एस0एम0, यू0वाई0एस0एम0,
ए0वी0एस0एम0, वी0एस0एम0
राज्यपाल उत्तराखण्ड।

No. 202/XXXVI(3)/2023/23(1)/2023
Dated Dehradun, May 26, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand {The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948} (Amendment) Ordinance, 2023 (Uttarakhand Ordinance No.02 of 2023).**

As promulgated by the Governor on 25th May, 2023.

THE UTTARAKHAND {THE UNITED PROVINCES RAKSHAK DAL ACT, 1948} (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

[Uttarakhand Ordinance No. 02 Year 2023]

(Promulgated by Governor in the Seventy Fourth Year of the Republic of India)

An

Ordinance

further to amend The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948 (United Provinces Act No. 38 of 1948) in the context of the State of Uttarakhand,

Whereas the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title and commencement

1. (1) This Ordinance may be called The Uttarakhand {The United Provinces Rakshak Dal Act, 1948} (Amendment) Ordinance, 2023.

(2) This shall come into force at once.

Amendment in the Act

2. In the United Provinces Rakshak Dal Act 1948 (hereinafter referred to as principal Act) wherever the words 'United Provinces' 'Rakshak Dal' 'Provincial Govt' 'Administrative Commandant' are used under which heading/sub heading, marginal heading and schedule are also included shall be respectively replaced by "Uttarakhand" "Prantiya Rakshak and Vikas Dal" "State Government" and "Director".

Amendment of Section 2

3. In the section 2 in clause (a) of the principal Act the words "honorary officer of equivalent rank" shall be omitted.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधानसभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Amendment of Section 4

4. In principal Act section 4 shall be substituted as follows, namely :

With such restrictions as may be prescribed any person can be registered and affiliated as a member of the Prantiya Rakshak and Vikas Dal who has attained the minimum age of 18 years and upto the maximum age of 42 years and the maximum age of his affiliation shall be upto the 60 years and terms and conditions of his affiliation/employment shall be such as may be prescribed.

Amendment of Section 5

5. In principal Act section 5 shall be substituted as follows, namely :

"On the orders of the prescribed officer, the member of the Prantiya Rakshak and Vikas Dal shall have to maintain public peace and do all such other works for which the above identified officer may order. Prescribed Officer shall mean the officer mentioned in the rules made for the implementation of the act under section 20 of this Act".

Amendment of Section 7

6. In principal Act subsection (1) of section 7 shall be substituted as follows, namely :

"For the purpose of carrying out the orders of this ordinance or any rule or regulation made thereunder, a volunteer of the Prantiya Rakshak and Vikas Dal, when deployed on the duty of peace and security, shall be deemed to be a police officer and such condition and restrictions as may be prescribed, the officer shall have and be subject to all the privileges, responsibilities and protections as provided under the Uttarakhand Police Act, 2007 or received by the police officer appointed by any other statute for the time being in force, Provided that such conditions and restrictions shall not be contrary to the orders of this Act".

Amendment of Section 10

7. In principal Act section 10 shall be substituted as follows, namely :

"When a member of the Prantiya Rakshak and Vikas Dal, not being an officer is accused of an offense punishable under section 9, the director or any gazetted officer authorized by him in writing, under whom the member of the Prantiya Rakshak and Vikas Dal is for the time being serving, may order that the said charge be proceeded without a lawful trial, and may award to such member one or more of the following punishments, that is to say" –

(a) Termination of registration from the Prantiya Rakshak and Vikas Dal.

(b) Separation from duty for one year.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Omission of Section 11

8. In principal Act section 11 shall be omitted.

Omission of Section 12

9. In principal Act section 12 shall be omitted.

Amendment of Section 13

10. In principal Act section 13 shall be substituted as follows, namely :

"If the offense is punishable under section 9 and the indictment thereof has not been disposed of in accordance with section-10, the trial thereof shall be tried by a Magistrate of the first class having jurisdiction".

Omission of Section 14

11. In principal Act section 14 shall be omitted.

Amendment of Section 16

12. In section 16 of the principal Act, the words "or any honorary officer of equivalent rank" shall be omitted.

Amendment of Section 17

13. In principal Act sub-section (2) of section 17 shall be substituted as follows, namely :

"If indiscipline has been done by a volunteer, in that case the department shall be informed by the employer. Action shall be taken by the department on the above matter as per rules . In case of criminal act action shall be taken by police department as per rules".

Amendment of Section 18

14. In principal Act section 18 shall be substituted as follows, namely :

"When a volunteer in called to perform duties in other departments/institutions, his/her daily allowance shall be paid by the concerned department/institutions. For this, the concerned department/institutions shall make provision for necessary funds/budget etc. as per rules."

Omission of Section 19

15. In Principal Act section 19 shall be omitted.

Amendment of Section 20

16. In Principal Act in clause (c) of sub-section(2) of section 20 the words "whether honorary or paid" shall be deleted.

Insertion of Section 21

17. In the principal Act after section 20 a new section 21 with marginal heading shall be inserted as follows namely : -

21. *"Miscellaneous.*

The members of the Prantiya Rakshak and Vikas Dal may be given such leave and for such period as may be prescribed by the State Government from time to time by order."

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Secretary.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

LT. GEN. (Retd.) GURMIT SINGH,
P.V.S.M, U.Y.S.M, A.V.S.M,
V.S.M,
GOVERNOR UTTARAKHAND.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधायी/225–2023–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)